बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 3748(1)/खाद्य,पटना, दिनांक–10-11-2026

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, अररिया एवं बक्सर।

विषय :– **मुख्यशीर्ष**–3456, **सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष**–00, **लघुशीर्ष**–001 **निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष**–0002 **जिला प्रभार**, विपत्र कोड 18–3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष **2026–27** के लिए **कुल 2,01,28,100/– (दो करोड एक लाख अठाईस हजार एक सौ) रुपये मात्र का** आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक–236 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–380/वि0 दिनांक–20.04.2026 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में निम्नांकित तालिका के अनुसार राशि आवंटित किया जाता है :–

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	पुनरीक्षित उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01 वेतन	0002.01 01 वेतन	63,80,84,000	1,13,63,500
		0002.01 03 जीवन यापन भत्ता	41,47,55,000	73,98,100
		0002.01 04 मकान किराया भत्ता	6,44,48,000	10,40,500
		0002.01 05 परिवहन भत्ता	2,10,78,000	00
		0002.01 06 चिकित्सा भत्ता	1,11,60,000	3,21,000
		0002.01 07 अन्य भत्ता	10,00,000	5,000
	योग–18–3456.00.001.0002.01–वेतन		**1,15,05,25,000**	**2,01,28,100**
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0002.06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	50,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.06–चिकित्सा प्रतिपूर्ति		**50,00,000**	**00**
3	11 यात्रा व्यय	0002.11 01 यात्रा व्यय	67,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.11–यात्रा व्यय		**67,00,000**	**00**
4	13 कार्यालय व्यय	0002.13 01 कार्यालय व्यय	80,00,000	00
		0002.13 02 वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव	4,00,000	00
		0002.13 03 दूरभाष	20,00,000	00
		0002.13 04 विद्युत प्रभार	50,00,000	00
		0002.13 05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		0002.13 10 भाडे की गाडी का भुगतान	3,00,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.13–कार्यालय व्यय		**4,59,00,000**	**00**
5	14 किराया महसूल एवं कर	0002.14 01 किराया महसूल एवं कर	1,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.14–किराया महसूल एवं कर		**1,000**	00

6	16 प्रकाशन और मुद्रण	0002.16 01 प्रकाशन एवं मुद्रण	1,00,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.16–प्रकाशन और मुद्रण		**1,00,00,000**	**00**
7	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	5,00,000	00
	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	0002.20 03 प्रशिक्षण व्यय	20,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.20–अन्य प्रशासनिक व्यय		**25,00,000**	**00**
8	21 सामग्री और पूर्तिया	0002.21 01 सामग्री एवं पूर्तियॉ	50,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.21–सामग्री एवं पूर्तियॉ		**50,00,000**	**00**
9	26 विज्ञापन और प्रकाशन	0002.26 01 विज्ञापन और प्रकाशन	50,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.26–विज्ञापन और प्रकाशन		**50,00,000**	**00**
10	28–व्यवसायिक सेवायें	00 02.28 02 संविदा सेवायें	2,19,00,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.28 व्यवसायिक सेवायें		**2,19,00,000**	**00**
11	51 मोटर वाहन	0002.51 01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग–18–3456.00.001.0002.51 मोटर वाहन		**1,000**	**00**
कुल योग–18–3456.00.001.0002 जिला प्रभार			**1,25,25,27,000**	**2,01,28,100**

2. **कुल 2,01,28,100/– (दो करोड एक लाख अठाईस हजार एक सौ) रुपये मात्र** का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है, जो निम्नवत् है।

"क"

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	वेतन 01 01	जी0या0भत्ता 01 03	मकान भत्ता 01 04	परिवहन भत्ता 01 05	चिकित्सा भत्ता 01 06	अन्य भत्ता 01 07	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जिला पदाधिकारी जहानाबाद	3800000	2500000	374000	0	81000	0	**6755000**
2	जिला पदाधिकारी जमुई	3663500	2198100	366500	0	70000	5000	**6303100**
3	जिला पदाधिकारी शेखपुरा	800000	300000	100000	0	50000	0	**1250000**
4	जिला पदाधिकारी अररिया	1500000	1000000	200000	0	50000	0	**2750000**
5	जिला पदाधिकारी बक्सर	1600000	1400000	0 0	0	70000	0	**3070000**
	कुल योगः–	**11363500**	**7398100**	**1040500**	**0**	**321000**	**5000**	**20128100**

3. उक्त व्यय का वहन मुख्यशीर्ष–3456, सिविल पूर्त्ति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष–0002 जिला प्रभार, विपत्र कोड सं0–18–3456000010002 अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उपबंधित राशि के अन्तर्गत होगा।

4. वित्त विभाग के पत्रांक–236 दिनांक–09.03.2026, पत्रांक–314/वि0 दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–380/वि0 दिनांक–20.04.2026 एवं पत्रांक–2561/वि0 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। स्थापना प्रतिबद्ध व्यय मदों में व्यय पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए किया जायेगा। महालेखाकार से व्यय का नियमित रूप से मिलान कराया जाय तथा निकासी के समय वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का पालन किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटन के राशि अधीन है। संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश की संख्या तथा तिथि का भी उल्लेख कराना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है।

5. जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवा निवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करेगें ताकि वैसे मामलों में न्यायालय वाद का सामना नहीं करना पड़े।

6. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति कार्यालय/अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालय को अपने स्तर से उपआवंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।

7. इस आवंटन से आपूर्ति कार्यालय में स्वीकृत बल के अधीन कार्यरत/सेवा–निवृत पदाधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन/बकाया वेतन का भुगतान किया जायेगा तथा जिला पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें की कार्यालय व्यय एवं सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि का उपयोग आपूर्ति कार्यालय में कार्यरत पदाधिकरियों/कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये विपत्रों के विरूद्ध ही राशि की निकासी की जाय, इसके इतर निकासी के लिए निकासी एवं व्यय पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

8. वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय नही हो सकने वाली राशि का प्रर्त्यपण ससमय आवश्य कर दिया जाए।

9. वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय के पश्चात् व्ययित राशि का व्यय प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् अनिवार्य रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करेगें।

10. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

10/11/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 37 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 10-11-2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 37 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 10-11-2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 37 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 10-11-2026

प्रतिलिपिः–सभी संबंधित जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी/सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/11/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट (स्था0प्रति0)–01/2026 37 (बजट) /खाद्य,पटना, दिनांक– 10-11-2026

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/11/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।